रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 439] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 8, 1970/अग्रहायण 17, 1892
No. 439] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 8, 1970/AGRAHAYANA 17, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Border Security)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 8th December 1970

S.O. 3896.—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Assam for period of six months with effect from 11th December 1970, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G & Q).]

गृह मन्त्रालय
(सीमा सुरक्षा)
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली 8 दिसम्बर, 1970

सां० नि० 3896.—सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों में अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 11 दिसम्बर, 1970 से 10 जून 1971 तक छह मास के लिये आसाम में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी०एस० II (जी एंड क्यू)]

S.O. 3897.—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Tripura for period of six months with effect from 15th December 1970, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G & Q.).]

सां० नि० 3897.—सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उप-धारा (i) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 15 दिसम्बर, 1970 से 14 जून 1971 तक छह मास के लिये त्रिपुरा में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस० II (जी एंड क्यू)]

S.O. 3898.—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Chandigarh for period of six months with effect from 15th December 1970, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G & Q.).]

सां० नि० 3898.—सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 15 दिसम्बर, 1970 से 14 जून 1971 तक छह मास के लिये चन्डीगढ़ में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस० II (जी एंड क्यू)]

S.O. 3899.—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Punjab for period of six months with effect from 19th December 1970, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G & Q.).]

सां० नि० 3899.—सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 19 दिसम्बर 1970 से 18 जून 1971 तक छह मास के लिये पंजाब में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस० II (जी एंड क्यू)]

S.O. 3900.—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Gujarat for period of six months with effect from 20th December 1970, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G & Q.).]

सां० नि० 3900.—सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 20 दिसम्बर 1970 से 19 जून 1971 तक छह मास के लिये गुजरात में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस० II (जी एंड क्यू)]

S.O. 3901.—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in J. & K. for period of six months with effect from 26th December 1970, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G & Q.).]

B. VENKATARAMAN, Jt. Secy.

सां० नि० 3901.—सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 26 दिसम्बर 1970 से 25 जून 1971 तक छह मास के लिये जम्मू और काश्मीर में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस० II (जी एण्ड क्यू)]

बी० वेंकटरामन, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970